

S.N. 4/1

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

\*\*\*\*

**No. 2002/TG-I/10/P/UTS**

**New Delhi, dated 10.10.2017**

**Principal Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.**

**Controller of Stores,  
All Zonal Railways.**

**Managing Director,  
CRIS,  
Chanakyapuri,  
New Delhi-110021.**

**(Commercial Circular No. 67 of 2017)**

**Sub: Parameters of thermal stationery used in unreserved tickets.**

\*\*\*\*\*

The thickness of the thermal stationery and inner core of thermal roll proposed to be used for UTS thermal ticket & ETM ticket has been examined and the following has been decided:-

- (i) **UTS:-** Keeping in view the printing of GST (Goods & Services Tax) related information on the UTS thermal tickets, the dimension of UTS thermal stationery has been revised to 81mm (width) x 106mm (length) for UTS printer with printable area of 77mm x 102mm. The thickness of thermal stationery would be 100 GSM  $\pm$  2.5%. The outer diameter of the inner core of thermal roll has been reduced from 45mm  $\pm$  1mm to 35mm  $\pm$  1mm.
- (ii) **ETM:-** Keeping in view the printing of GST related information on the ETM thermal tickets, the dimension of ETM ticket thermal stationery has been revised to 74mm (width) x 104mm (length) for ETM ticket printer. The thickness of the thermal stationery would be 80 GSM  $\pm$  2.5%. The outer diameter of the inner core has been kept as 20mm  $\pm$  1mm.

1.1 CRIS will explore the feasibility of printing the two messages- "Passenger Helpline No. 138" and, "IR recovers only 57% of the cost of travel on an average" on the front side of the ticket along with the GST related information. However, if it is not feasible due to paucity of space, both or either of the two messages may be taken to the back side of the ticket.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned.

  
(Vikram Singh)  
Director Passenger Marketing,  
Railway Board.

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal

Date: 10.10.2017

Copy forwarded to:

**FA & CAO, All Zonal Railways.**  
**Director (Audit), All Zonal Railways.**

  
for Financial Commissioner, Railways

**Copy to:**

1. CCM/PMs, CCM/PSs & Controller of Stores, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. GM/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhawan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2002/टीजी-1/10/पी/यूटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 10.10.2017

1. प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें
2. प्रबंध निदेशक,  
क्रिस,  
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

भंडार नियंत्रक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 67)

विषय: अनारक्षित टिकटों में प्रयोग की जाने वाली थर्मल स्टेशनरी के पैरामीटर।

\*\*\*\*\*

यूटीएस थर्मल टिकट और ईटीएम टिकट के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित थर्मल स्टेशनरी और थर्मल रोल के भीतरी भाग के आकार की जांच की गई है और निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

- (i) **यूटीएस:-** यूटीएस थर्मल टिकटों पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) से संबंधित सूचना मुद्रित करने को ध्यान में रखते हुए, यूटीएस प्रिंटर के लिए यूटीएस थर्मल स्टेशनरी का आकार संशोधित करके 81 मिमी. (चौड़ाई) X 106 मिमी. (लम्बाई) कर दिया गया है जिसमें 77 मिमी. (चौड़ाई) X 102 मिमी. (लम्बाई) भाग में मुद्रण किया जाएगा। थर्मल स्टेशनरी की मोटाई 100 जीएसएम  $\pm$  2.5% होगी। थर्मल रोल के भीतरी भाग का बाहरी व्यास 45 मिमी.  $\pm$  1 मिमी. से घटाकर 35 मिमी.  $\pm$  1 मिमी. कर दिया गया है।
- (ii) **ईटीएम:-** ईटीएम थर्मल टिकटों पर जीएसटी से संबंधित सूचनाएं मुद्रित करने को ध्यान में रखते हुए, ईटीएम टिकट प्रिंटर के लिए ईटीएम टिकट की थर्मल स्टेशनरी का आकार संशोधित करके 74 मिमी. (चौड़ाई) X 104 मिमी. (लम्बाई) कर दिया गया है। थर्मल स्टेशनरी की मोटाई 80 जीएसएम  $\pm$  2.5% होगी। थर्मल रोल के भीतरी भाग का बाहरी व्यास 20 मिमी.  $\pm$  2.5% रखा गया है।

1.1 क्रिस जीएसटी से संबंधित सूचना के साथ-साथ टिकट के मुखपृष्ठ पर दो संदेशों "यात्री हेल्पलाइन नं. 138" और "भारतीय रेलवे यात्रा लागत का औसतन मात्र 57% प्रभार लेती है" को छापने की व्यावहारिकता का पता लगाएगा। परन्तु, यदि स्थान की कमी के कारण यह संभव न हो तो दोनों अथवा दोनों में से किसी एक संदेश को टिकट के पृष्ठभाग पर मुद्रित किया जा सकता है।

2. सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

ह.

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन,  
रेलवे बोर्ड

सं. 2002/टीजी-1/10/पी/यूटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 10.10.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें  
निदेशक( लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

ह.

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम, सीसीएम/पीएस और भंडार नियंत्रक, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), प्रधान निजी सचिव/एफसी, ओएसडी/एफसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- 3) जीजीएम/टीआई/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- 4) महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71
- 14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.